कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता,सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड, फुलेरा

क्रमांक :– 585 दिनांक :– 20/05/2025

श्रीमान् निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय,
जयपुर।

विषयः–तामील नोटिस के प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर के निर्देशानुसार खण्ड कार्यालय के अधीन विभिन्न सड़कों पर पूर्व में की गयी भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की वाद/रेफरेंस के निपटारे के लिए समन जारी कर प्रकाशन हेतु भिजवाये जा रही है जिनका प्रकाशन प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका (दोनों में से किसी भी एक समाचार पत्र में) में केवल एक बार कम से कम स्थान पर प्रकाशन कराने का श्रम करें। उक्त विज्ञप्ति की सोफ्ट प्रति भी संलग्न कर डी.आई.पी.आर. की वेब साईट पर प्रकाशन हेतु भिजवायी जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड, फुलेरा

क्रमांक :– 585 दिनांक :– 20/05/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर, जिला जयपुर।
3. श्रीमान् मुख्य अभियंता सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सा.नि.वि, संभाग–द्वितीय जयपुर।
5. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत ग्रामीण, जयपुर।
6. सहायक अभियता, सा.नि.वि., उपखण्ड कि0रेनवाल।

(जितेन्द्र कुमार मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. जिला खण्ड, फुलेरा

D:\Dolat Jangid\Court Case Letters\Land Aquasition Publication Court Case.doc

परिशिष्ट ख
आदेशिका
संख्यांक 1
वाद/रेफरेंस के निपटारे के लिए समन (आदेश 5 के नियम 1 और 5)
(शीर्षक)

क्र. सं.	मुकदमा संख्या	एनसीवी नं.	उनवान	खसरा नं.	पक्षकारों के नाम व पता
1	02/2008	300/2014	एल ए ओ बनाम मन्दिर लक्ष्मीनाथ जी	435, 436	1. दूदाराम, हरिराम, रामू, देवा पि गंगू, श्रीमति चौथी देवी पत्नी स्व0 खींवा, कानाराम, द्वारका प्रसाद पि0 स्व0 खींवा, जाति कुम्हार निवासी रेनवाल। 2. बृजमोहन, मुनालाल, पि0 भूरामल शर्मा पुजारी निवासी रेनवाल।

.... ने अपने विरूद्ध मुआवजा के लिए वाद/रेफरेंस संस्थित किया है आपको इस न्यायालय में तारीख 28.05.2025 को दिन में 07.30 ए.एम. बजे दावे का उत्तर देने/रेफरेंस में कार्यवाही करने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समय किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद / रेफरेंस में संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या उसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। न्यायालय में आपकी उपसंजात के लिए जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिए नियत दिन है, इसलिए आपको उस दिन अपने उन सब साथियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते है। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताये गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। करीब 10 साल से आपकी ओर से इस रेफरेंस कार्यवाही में उपस्थिति नहीं दी गई है। अंतिम बार अखबार में प्रकाशन के द्वारा तामील नोटिस के जरिये आपको तलब किया जा रहा है।

यह आज तारीख 07.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर,
जिला – जयपुर।

कृपया ध्यान दे:– 1. यदि आपको यह आशंका है कि आपके साक्षी अपनी मर्जी से हाजिर नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए ऐसी कोई दस्तावेज पेश करने के लिए जिसे पेश करने के लिए साक्षी से अपेक्षा करने का आपको अधिकार समन इस न्यायालय से आवेदन करके और आवश्यक व्ययों की रकम जमा करके ले सकते है।

2. यदि आप दावे को स्वीकार करते है तो आपको चाहिए कि वाद के खर्चे के साथ उस दावे का धन न्यायालय में पेश कर दे जिससे कि बिक्री का निष्पादन स्वयं आपके या आपकी सम्पत्ति या दोनों के विरूद्ध न करना पड़े।